"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 नवम्बर 2001 कार्तिक 16, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-381/2001/वा.क./पांच (62).—छत्तीसगढ़, वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-381/2001/वा.क./पांच (56) दिनांक 16-10-2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

अधिसूचना में शब्द एवं अंक "7 नवम्बर" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "12 नवम्बर" प्रतिस्थापित किया जायेगा .

Raipur, the 7th November 2001

NOTIFICATION

No. F-10-381/2001/CT/V(62).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in this Department Notification No. F-10-381-2001/CT/V(56) dated 16-10-2001 namely :-

Amendment

In the Notification for word & figure "7th November", word & figure " 12th November" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001.